R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 5 ♦ नवम्बर 30, 2018

बैंकिंग विनियमन

बैंकों को एनबीएफसी/एचएफ़सी को आंशिक ऋण संवर्धन प्रदान करने की अनुमति

रिज़र्व बैंक ने नवंबर 02, 2018 को यह निर्णय लिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण, जमाराशि न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को बैंकों द्वारा आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) प्रदान करने की अनुमति दी जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- एनबीएफसी-एनडी-एसआई/एचएफसी द्वारा जारी किए गए जिस बॉन्ड के लिए पीसीई दिया गया है, उसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी;
- बैंकों द्वारा दिए गए पीसीई से समर्थित बॉन्ड की आय का उपयोग केवल एनबीएफसी-एनडी-एसआई/एचएफसी के मौजूदा ऋण के पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा। बैंक लक्ष्य-उपयोग की शर्त के पूरे होने की निगरानी और सुनिश्चितता के लिए उचित प्रणाली लाएंगे;
- ऐसे प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी-एसआई/एचएफसी द्वारा जारी बॉन्ड के प्रति पीसीई द्वारा बैंक का एक्सपोजर मौजूदा एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा के भीतर बैंक की पूंजीगत निधि के एक प्रतिशत तक सीमित होगा; और
- एनबीएफसी-एनडी-एसआई/एचएफसी द्वारा जारी बॉन्ड के प्रति पीसीई द्वारा बैंक का एक्सपोजर 20 प्रतिशत की कुल पीसीई एक्सपोजर सीमा के भीतर होगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11407Mode=0)

1 अप्रैल 2020 से एनएसएफ़आर पर अंतिम दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने नवंबर 29, 2018 को यह सूचित किया कि निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) पर अंतिम दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएंगे। एनएसएफ़आर दिशानिर्देश लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में निधीयन जोखिम में कमी सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए ताकि बैंकों से यह अपेक्षा की जा सकें कि वे अपनी गतिविधियों हेतु वित्त पोषण के लिए पर्याप्त स्थिर स्रोतों से सहारा लें और भविष्य के वित्त पोषण तनाव के जोखिम को कम कर सकें।

भारत में परिचालनरत बैंकों के लिए एनएसएफ़आर पर प्रारूप दिशानिर्देश अभिमत के लिए 28 मई 2015 को जारी किए गए थे। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभिमत पर विचार करने के पश्चात अंतिम दिशानिर्देश 17 मई 2018 को जारी किए गए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11423Mode=0)

एमएसएमई निर्यात के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना

रिज़र्व बैंक ने नवंबर 29, 2018 को भारत सरकार का यह निर्णय सूचित किया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत किए जाने वाले निर्यातों के संबंध में ब्याज समतुल्यीकरण दर को 3% से बढ़ाकर 5% किया गया है , जो 2 नवंबर 2018 से प्रभावी होगा। योजना का लाभ सभी पात्र एमएसएमई निर्यातकों को उपलब्ध कराया जाएगा। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11421Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) रूपरेखा की पुनरिक्षा

रिज़र्व बैंक ने नवंबर 6, 2018 को भारत सरकार के साथ परामर्श कर के यह निर्णय लिया है कि ईसीबी ढांचे के निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन किया जाए:

- **न्यूनतम औसत परिपक्वता:** पात्र उधारकर्ताओं द्वारा आधारभूत संरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में जुटाई गई ईसीबी के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम औसत परिपक्वता की अपेक्षा को घटा दिया जाए; तथा
- **हेजिंग की अपेक्षा :** उपर्युक्त संदर्भित पात्र उधारकर्ताओं द्वारा जुटाई गई ईसीबी पर लागू अनिवार्य हेजिंग प्रावधान से छूट पाने के लिए औसत परिपक्वता संबंधी अपेक्षा को मौजूदा 10 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष किया जाए। तदनुसार आधारभूत संरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में 3 से 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी हेतु 100% तक की अनिवार्य हेजिंग अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधित प्रावधान के अंतर्गत आने वाले लेकिन इस परिपत्र की तारीख से पूर्व जुटाए गए ईसीबी को अपने विद्यमान हेजेस को अनिवार्य रूप से रोल-ओवर करना आवश्यक नहीं होगा।

कतिपय पात्र उधारकर्ताओं को ट्रैक-I के अंतर्गत 3 तथा 5 वर्ष के बीच की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गिकृत ईसीबी जुटाने वाले अपने ईसीबी एक्सपोजर को अनिवार्यतः पूर्ण रूप से हेज करना आवश्यक है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11408Mode=0)

बाद में रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने नवंबर 26, 2018 को यह निर्णय लिया कि पात्र उधारकर्ताओं द्वारा ईसीबी ढांचे के ट्रैक-I के अंतर्गत 3 तथा 5 वर्ष के बीच की परिपक्वता के लिए जुटाई गई ईसीबी के लिए अनिवार्य रूप से हेज कवरेज को 100 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त दायरे के अंतर्गत आने वाली किन्तु इस परिपत्र की तारीख से पूर्व जुटाई गई ईसीबी को अपने मौजूदा हेज को बकाया ईसीबी एक्सपोजर के केवल 70 प्रतिशत तक अनिवार्यतः बनाए रखना जारी रखा जाए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11418Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

बैंकों को आरटीजीएस के लिए सकारात्मक पुष्टि भेजनी होगी

रिजर्व बैंक ने 15 नवंबर 2018 को बैंकों को धन हस्तांतरण पूरा करने के संबंध में रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली के तहत धन के प्रेषक को सकारात्मक पुष्टि भेजने के लिए सूचित किया। इससे आरटीजीएस में प्रेषक को आश्वासन मिलेगा कि धन को लाभार्थी खाते में सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है । यह सुविधा पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के प्रेषकों को ही प्रदान की गई थी।

आरंभ में आरटीजीएस में सकारात्मक पुष्टि सुविधा सदस्य बैंकों के लिए उपलब्ध होगी जिसमें धन प्रेषक और लाभाग्राही बैंक थिक क्लाइंट इंटरफ़ेस / एसएफएमएस सदस्य इंटरफ़ेस के माध्यम से आरटीजीएस तक पहुंच सकते हैं। सदस्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने ग्राहकों को इस बात से अवगत कराएं। बाद में अन्य चैनलों के माध्यम से आरटीजीएस का उपयोग करने वाले सदस्य बैंकों के लिए सकारात्मक पुष्टि सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

लाभार्थी खाते में क्रेडिट की तिथि और समय दर्शाने वाली एक पावती प्रेषक बैंक को भेजने के लिए नया मैसेज प्रारूप (camt.059) लाया जा रहा है। यह मैसेज लाभाग्राही बैंक से प्रेषक बैंक तक एसएफएमएस के माध्यम से पहुंचेगा। लाभाग्राही बैंक की ओर से सकारात्मक पुष्टि प्राप्त करने के बाद, प्रेषक बैंक एक एसएमएस और / अथवा ई-मेल प्रेषक को भेजेगा।

सभी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) आधारित पुष्टीकरण प्रोसेसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों को स्थापित करें। लाभग्राही बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का पुष्टिकरण मैसेज सीबीएस में लाभाग्राही के खाते में राशि के क्रेडिट होते ही भेज दिया जाए और धन प्रेषक बैंक की ओर से पुष्टिकरण का मैसेज आवश्यक रूप से तत्काल भेज दिया जाए और किसी भी मामले में लाभग्राही बैंक की ओर से मैसेज प्राप्त होने के बाद एक घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11414Mode=0)

गैर बैंकिंग विनियमन

प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर एनबीएफसी के दिशानिर्देश

29 नवंबर 2018 को रिज़र्व बैंक ने, पांच साल से ऊपर की मूल परिपक्वता के ऋण के संबंध में, छह मासिक किस्तों या दो त्रैमासिक किस्तों (जैसा लागू हो) की चुकौती प्राप्त करने के लिए, एनबीएफसी की उत्पत्ति के लिए न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) आवश्यकता में छूट दी है। यह छूट एनबीएफसी को अपनी पात्र परिसंपत्तियों को सुरक्षित / निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दी गई थी और यह निम्नलिखित विवेकपूर्ण आवश्यकता के अधीन है:

- ऐसे प्रतिभूतिकरण / निर्धारण लेनदेन के लिए न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) निर्धारित परिसंपत्ति से प्रतिभूतिकृत किए गए ऋण के बुक वैल्यू का 20 प्रतिशत/ नकद प्रवाह के 20 प्रतिशत होगा।

29 नवंबर 2018 से छह महीने की अवधि के दौरान किए गए प्रतिभूतिकरण / निर्धारण लेनदेन पर छूट लागू होगी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11422Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता के लिए एलईआईसी

रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2018 को निर्णय लिया कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में लेनदेन करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी सहभागी विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) कोड प्राप्त करेंगे। जिन सहभागियों को एलईआईसी की जरूरत होगी, उनमें सरकारी प्रतिभूति बाजार, मुद्रा बाजार (एक वर्ष या इससे कम की परिपक्वता वाली लिखत के लिए बाजार) और गैर-डेरिवेटिव मुद्रा बाजार (लेनदेन जिनका निपटान स्पॉट तारीख या इससे पहले होता है) शामिल हैं। उनसे नीचे दी गई अनुसूची में इंगित देय तारीख तक एलईआईसी प्राप्त करना अपेक्षित है :

मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बाजारों में एलईआई के कार्यान्वयन की अनुसूची

चरण	संस्थाओं की निवल मालियत	प्रस्तावित समयसीमा
चरण I	₹ 10,000 मिलियन से अधिक	30 अप्रैल 2019
चरण II	₹ 2,000 मिलियन और ₹ 10,000 मिलियन के बीच	31 अगस्त 2019
चरण III	₹ 2,000 मिलियन तक	31 मार्च 2020

केवल वे संस्थाएं जो अपने लिए लागू एलईआई कोड देय तारीख को या इससे पहले प्राप्त करते हैं, वे निर्गमकर्ता या निवेशक या विक्रेता/क्रेता के रूप में देय तारीख के बाद इन वित्तीय बाजारों में लेनदेन कर सकेंगे। मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में किए जाने वाले लेनदेन एलईआई अपेक्षा की परिधि से बाहर हैं।

गैर-डेरिवेटिव विदेशी लेनदेनों के मामले में, जबकि सभी अंतर-बैंक लेनदेन एलईआई अपेक्षा के अधीन होंगे, ग्राहकों के उन्हीं लेनदेनों के लिए एलईआई कोड की जरूरत होगी जिसमें एक मिलियन डॉलर के समकक्ष या इससे अधिक या अन्य मुद्राओं में इसके समकक्ष राशि शामिल होगी।

संबंधित बाजारों में वित्तीय लेनदेन करने वाली अनिवासी संस्थाओं को भी एलईआई कोड लेना जरूरी होगा। ऐसी संस्थाएं जो अपने देश के निगम (जैसे अनिवासी मूल/प्रबंधन कंपनी द्वारा परिचालित फंड जो प्रत्येक एफपीआई के रूप में पंजीकृत हैं) में कानून संस्थाएं नहीं हैं, वे मूल/प्रबंधन कंपनी के एलईआई कोड का इस्तेमाल करेंगी।

संस्थाएं जो लेनदेन करने, रिपोर्टिंग करने या इन बाजारों में जमा कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं, अपने-अपने सिस्टमों में सहभागियों के लेनदेन हेतु एलईआई कोड प्राप्त करेंगी।

वैश्विक विधिक संस्था पहचानकर्ता फाउंडेशन (जीएलईआईएफ) द्वारा प्रत्यायित किसी भी स्थानीय परिचालन यूनिट (एलओयू) से संस्थाएं एलईआई प्राप्त कर सकती हैं (https://www.gleif.org/en)। भारत में एलईआई कोड विधिक संस्था पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) से प्राप्त किया जा सकता है (https://www.ccilindia-lei.co.in)।

वित्तीय लेनदेन करने वाली संस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक एलईआई प्रणाली के नियमों के अंतर्गत उनका एलईआई कोड मौजूदा समझा जाए। कालातीत एलईआई कोड को रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में लेनदेन के लिए अवैध माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

एलईआई कोड को वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय आंकड़ा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करने के लिए मुख्य उपाय के रूप में माना गया है। एलईआई कोड उन संस्थाओं को आबंटित किया जाने वाला 20 अक्षरों का विशिष्ट पहचान कोड है जो वित्तीय लेनदेन की पार्टियां होती हैं। वैश्विक रूप से, एलईआई के उपयोग का विस्तार डेरिवेटिव रिपोर्टिंग से अधिक हो गया है और इसका उपयोग बैंकिंग, प्रतिभूति बाजार, क्रेडिट रेटिंग, बाजार पर्यवेक्षण और अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। एलईआई प्रणाली का कार्यान्वयन रुपी ब्याज दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव और बैंकों के बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए ओवर द काउंटर बाजारों के प्रतिभागियों (व्यक्तियों को छोड़कर) के लिए चरणबद्ध तरीके में किया गया है।

यह प्रस्तावित था कि ब्याज दर, मुद्रा या रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित क्रेडिट बाजारों में गैर-व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले सभी वित्तीय बाजार लेनदेनों के लिए एलईआई व्यवस्था कार्यान्वित की जाए। परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर गैर-डेरिवेटिव बाजारों में सहभागिता करने के लिए एलईआई कोड की आवश्यकता पर निदेशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11424Mode=0)

रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र पर सर्वेक्षण शुरू किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के स्टार्टअप क्षेत्र (एसआईएसएस) पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप क्षेत्र का प्रोफाइल बनाना और कारोबार,लाभप्रदता और कार्यबल से संबंधित आयाम प्रदान करना है। एसआईएसएस स्टार्टअप क्षेत्र की समस्याओं पर भी प्रकाश डालेगा।

बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in में सर्वेक्षण सूची शीर्ष 'फॉर्म' (होम पेज के नीचे 'मोर लिंक' में उपलब्ध है) और उप-शीर्ष 'सर्वे' के अंतर्गत

मिन्ट स्ट्रीट मेमो

सीपीआई में आवास सेवाएं – माप के मुद्दे

रिजर्व बैंक ने 5 नवंबर 2018 को ''सीपीआई में आवास सेवाएँ-माप के मुद्दे'' शीर्षक से पंद्रहवा मिन्ट स्ट्रीट मेमो प्रकाशित किया जिसे डॉ. प्रज्ञा दास द्वारा लिखा गया है।

शहरी क्षेत्रों में 10 आवासों में से 1 से अधिक आवास नियोक्ता (मुख्य रूप से सरकार) द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक महीने आवास सेवा के मूल्य में परिवर्तन निकालने के लिए इन आवासों को निजी किराए वाले और स्वामी के कब्जे वाले घरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में नमूने के रूप में पेश किया गया है। सरकारी आवासों के लिए, पूर्वगामी आवास किराये भत्ते (एचआरए) को किराये लागत के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पेपर चर्चा करता है कि पूर्वगामी एचआरए को आवास किराये की माप के रूप में उपयोग से (क) आवास सेवाओं के मूल्य में सही गतिविधियों को नहीं लेता है, और (ख) हेडलाइन सीपीआई में मासिक बदलाव की माप में काफी अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है। इस मुद्दे के समाधान के लिए, यह मेमो सीपीआई में आवास किराये के माप के वैकल्पिक तरीके का सुझाव देता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक निश्चित खपत बास्केट के मासिक 'कीमतों में परिवर्तन' को मापने के लिए बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य मूल्य परिवर्तनों को यथासंभव कुशलता से मापना है।

मेमो पर चर्चा की गई है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आवास किराए पर भत्ते में क्षैतिज संशोधन सीपीआई मुद्रास्फीति में बड़ी कमी का कारण बनता है जो मौद्रिक नीति के लिए विश्लेषणात्मक और संप्रेषण मुद्दों का कारण बनता है। सीपीआई में ये परिवर्तन आवास घटक से उत्पन्न होते हैं चूंकि किराया जानकारी एकत्रित करने के लिए घरों के नमूने के साथ ही, सरकारी घरों का भी दौरा किया गया। सरकारी आवासों को आंशिक रूप से सब्सिडी दी जाती है क्योंकि कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रदान किए गए एचआरए से निपटना पड़ता है और साथ ही सांकेतिक किराया के रूप में सांकेतिक लाइसेंस शुल्क भी होता है।

सब्सिडी वाले सामानों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मैनुअल पीजीपीसीपीआई दो व्याख्याएं प्रदान करता है।

- सबसे पहले, पूरी तरह से सब्सिडी वाले सभी आइटम को, सैद्धांतिक रूप में, सीपीआई से बाहर रखा जाना चाहिए।
- दूसरा, आंशिक रूप से सब्सिडी वाले वस्तुओं (जैसे कि मौजूदा मामले में नियोक्ता ने आवास प्रदान किया) के लिए, मूल्य परिवर्तन को मापने के लिए उपभोक्ता (कर्मचारी) द्वारा वहन किए गए आंशिक लागत का उपयोग करने के बजाय बाजार से संबंधित दरों का उपयोग किया जाना चाहिए।

आंशिक रूप से सब्सिडी वाले परिवहन किराए के उदाहरण का उपयोग करते हुए, पीजीपीसीपीआई सुझाव देता है कि ''जहां नियोक्ता द्वारा किराया में आंशिक रूप से सब्सिडी दी जाती है, सीपीआई व्यय भार को कर्मचारी द्वारा आधार अवधि में भुगतान किए गए किराए के तत्व को प्रतिबिंबित करना चाहिए और मूल्य सूचकांक में केवल किराया शुल्क परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना चाहिए और न कि कर्मचारी के पारिश्रमिक पैकेज में बदलाव से उत्पन्न सब्सिडी के स्तर में परिवर्तन को''।

आंशिक रूप से सब्सिडी वाले सरकारी आवासों के लिए इस विचार को लागू करने, और पेपर में चर्चाओं से रेखांकन करने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि:

सबसे पहले, आवास पर व्यय के अंश तक पहुंचने के लिए, जिसे अंततः सीपीआई में आवास के लिए भार के रूप में उपयोग किया जाता है, एनएसएसओ किराए के आवासों के लिए वास्तविक किराया का उपयोग करता है। नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के मामले में, इसे मासिक उपलब्धियों के जब्त किए गए अंश के रूप में लिया जाता है (एचआरए प्लस लाइसेंस शुल्क)। सीपीआई में सीईएस से आया हुआ आवास का सही और पीजीपीसीपीआई सिद्धांतों के अनुरूप है। यह प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए।

दूसरा, सीपीआई में, नियोक्ता द्वारा आवास प्रदान करने के लिए सरेंडर्ड एचआरए साथ ही सांकेतिक लाइसेंस शुल्क को किराए के प्रॉक्सी के रूप में चार्ज करने के बजाय, निम्नलिखित विकल्पों का पता लगाया जा सकता है :

सरकारी आवासों से प्रभारित सरेंडर्ड एचआरए साथ ही सांकेतिक लाइसेंस शुल्क के रूप में किराए पर जानकारी इकट्ठा करने के बजाय, हम किराए के समकक्ष का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात, नजदीकी क्षेत्र में इसी तरह के आवासों का मार्केट किराया।

वैकल्पिक रूप से, सरकार द्वारा किराए के समकक्ष के लिए प्रभारित सांकेतिक लाइसेंस शुल्क का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, चूंकि लाइसेंस शुल्क में संशोधन कई वर्षों में होता है (नवीनतम संशोधन 2017 में किया गया, जिससे 2013 में निर्धारित दरों में संशोधन किया गया), अधिमानित विकल्प के रूप में इसे उचित नहीं पाया गया।

इस संबंध में, यह नोट करना दिलचस्प है कि सरकार अपने कर्मचारियों से उनकी पात्रता से परे प्रदान किए आवास पर ओवरस्टैयिंग के लिए मार्केट किराया लेती है। इसलिए, सरकारी आवास के लिए मार्केट किराए की धारणा मौजूद है। सीपीआई के लिए, मालिकाना कब्जे वाले घरों के किराए समकक्ष का उपयोग किया जाता है, भले ही मालिकाना कब्जे वाले घर और किराए पर दिए गए आवास गुणवत्ता, सुविधाओं, कमरे के आकार इत्यादि के मामले में भिन्न होते हैं। तदनुसार, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के लिए समकक्ष किराया दृष्टिकोण का अन्वेषण किया जा सकता है।

तीसरा, यदि सीपीआई में घर किराया मापने के लिए, घर किराए के बराबर एचआरए को मापना जारी रखा जाता है, तो सरकारी आवासों के किराए के अलग-अलग प्रकाशन पर विचार किया जा सकता है ताकि नीतिगत उद्देश्यों के लिए अंतर्निहित मुद्रास्फीति गतिशीलता का आकलन करने में सुविधा हो।

(https://rbi.org.in/ Scripts/MSM_Mintstreetmemos15.aspx)

रखी गई है। इसे मार्च 2018 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार सभी स्टार्टअप इकाइयों को भी भेजा गया है। अन्य स्टार्टअप, जिनसे स्थान विवरण की कमी के कारण संपर्क नहीं किया जा सका है, वे ऊपर दिए गए लिंक से सर्वेक्षण सूची डाउनलोड करके भी इस सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं। इस भरे हुए सर्वेक्षण सूची को मेल किया जा सकता है (इसका सर्वेक्षण सूची में भी उल्लेख किया गया है)। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया या उत्तरदाताओं की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। किसी भी प्रश्न / स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया मेल करें।

प्रकाशनियां

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि और ऋण की तिमाही सांख्यिकी

भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 नवंबर 2018 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (अ.वा.बैं.) की जमाराशि और ऋण पर तिमाही सांख्यिकी, सितंबर 2018 नामक वेब प्रकाशन अपने भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस (DBIE) नामक पोर्टल (web-link: https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications!3). पर जारी किया। इस प्रकाशन में दिये गए आंकड़े मूलभूत संख्यिकी विवरणियाँ (BSR-7) रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से संकलित किए गए हैं और इन्हें सभी प्रकार की जमा-राशि और बैंक ऋणों के लिए राज्य, जिला, केंद्र, जनसंख्या और बैंक-समूहवार वर्गीकृत किया गया है। ये आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (क्षे.ग्रा.बैं.), लघु वित्त बैंकों (ल.वि.बैं.) समेत सभी अ. वा. बैं. से प्राप्त किए गए है।

मुख्य बातें:

- सितंबर 2018 में बैंक ऋण वृद्धि दर (वर्षदरवर्ष) पिछली तिमाही की अपेक्षा तेजी से बढ़ी; सभी आबादी समूहों (ग्रामीण / अर्ध शहरी / शहरी / महानगरीय) में बाँकों की शाखाओं ने दो अंकों की वृद्धि दर्ज की।
- निजी क्षेत्र के बैंकों ने लगातार चौथी तिमाही मे 20 प्रतिशत से अधिक ऋण वृद्धि (वर्षदरवर्ष) दर्ज की; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षे.ग्रा.बैं. की ऋण वृद्धि दर में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।
- सभी जनसंख्या समूहों में जमा वृद्धि दर (वर्षदरवर्ष) तेजी से बढ़ी; हालांकि, यह ऋण विस्तार की दर से कम थी।
- निजी क्षेत्र के बैंक जमाओं के संचालन में अग्रणी रहे; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछली तीन तिमाहियों में जमा दर (वर्षदरवर्ष) में क्रमिक रूप से तेजी दर्ज की।
- महानगरीय शाखाओं की बैंक ऋण में लगभग दो तिहाई और कुल जमा में लगभग आधे की हिस्सेदारी थी।
- पांच राज्य (महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश) बैंक जमा और ऋण मे आधे से अधिक के हिस्सेदार रहे।
- अखिल भारतीय स्तर पर ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात सितंबर 2018 तिमाही में बढ़कर 76.4 प्रतिशत रहा जो पिछले तिमाहि मे 75.6 प्रतिशत था; चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए यह अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक रहा।

भारत के अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार पर आंकड़े

रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर 2018 को भारत के अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार पर मासिक आंकड़े जारी किए । रिज़र्व बैंक ये आंकड़े 45 दिनों के अंतराल पर जारी करता है।

सितंबर 2018 माह के दौरान सेवाओं के निर्यात और आयात का मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

सारणी : अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

माह	प्राप्तियां (निर्यात)	भुगतान (आयात)
जुलाई - 2018	17,553	10,850
अगस्त - 2018	16,526	10,354
सितंबर - 2018	16,381	9,946

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

सेवाओं पर मासिक आंकड़े अनतिम है और जब भुगतान संतुलन (बीओपी) आंकड़े तिमाही आधार पर जारी किए जाएंगे तब इन्हें संशोधित किया जाएगा ।

आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग संबंधी सर्वेक्षण- दूसरी तिमाही: 2018-19

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2018 को अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 43वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण जुलाई-सितम्बर 2018 (2018-19 की दूसरी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है।

रिज़र्व बैंक विनिर्माण क्षेत्र की आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण 2008 से तिमाही आधार पर आयोजित करा रहा है। इस सर्वे क्षण में प्राप्त की जाने वाली सूचना में संदर्भ तिमाही के दौरान प्राप्त किए गए नए आदेशों, तिमाही की शुरुआत में आदेशों का बैकलॉग, तिमाही के अंत में लंबित आदेशों, तिमाही के अंत में प्रक्रियाधीन और तैयार माल की सूची के ब्यौरों के साथ कुल सूची और लक्षित समूह की संस्थापित क्षमता की तुलना में तिमाही के दौरान मात्रा और मूल्य के लिहाज से मद-वार उत्पादन पर मात्रात्मक आंकड़े शामिल हैं। इन प्रतिक्रियाओं से क्षमता उपयोग के स्तर का अनुमान लगाया जाता है। यह सर्वेक्षण मौद्रिक नीति निर्माण में रिज़र्व बैंक को उल्लेखनीय इनपुट उपलब्ध कराता है।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों को बैंक की वेबसाइट पर नियमित आधार पर जारी किया जाता है। अप्रेल-जून 2018 तिमाही से संबंधित नवीनतम परिणाम 5 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए।

तिमाही के दौरान बैंक चयनित विनिर्माण कंपनियों से संपर्क करेगा। अन्य विनिर्माण कंपनियां भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in से सर्वेक्षण प्रश्नावली डाउनलोड कर इस सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं। यह सर्वेक्षण प्रश्नावली 'फॉर्म' शीर्ष (होम पेज पर बिल्कुल नीचे अन्य लिंक के अंतर्गत उपलब्ध) और 'सर्वेक्षण' उप-शीर्ष के अंतर्गत रखी गई है। विधिवत भरी हुई सत्यापित सर्वेक्षण अनुसूची को सर्वेक्षण अनुसूची में दिए गए संपर्क ब्यौरे पर ईमेल या फैक्स से भेजा जा सकता है।कंपनी स्तरीय आंकड़े गोपनीय रखे जाते हैं और इन्हें कभी भी प्रकट नहीं किया जाता है। किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

निदेशक, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8, दूसरी मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051, फोन 022-26578279/386; फैक्स-022-26572197; ईमेल-dsimobicus@rbi.org.in

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।